# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन,जयपुर

क्रमांकः एफ.1(3)आरबी / 2020/1212 दिनांक : 14 फरवरी, 2020

**कार्यवाही विवरण**

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के "कुलपतियों से संवाद" की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन, राजस्थान, जयपुर में आयोजित हुई।

1. बैठक में उपस्थित कुलपतिगण की सूची **संलग्नक–1** पर संलग्न है।
2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने बैठक में सभी कुलपतियों का स्वागत करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारंभिक उद्बोधन हेतु निवेदन किया।
3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने सभी कुलपतिगण का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अद्यतन करने की कार्यवाही दृढ़ता से करें। पाठ्यक्रम के अद्यतन में विज्ञान विषय के अतिरिक्त उन विषयों का विशेष ध्यान रखा जाये, जहां पर इंटरनशिप/कार्यशाला का प्रभावी ज्ञान होना आवश्यक हो। विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे जो यूजीसी वेबसाईट अनुसार तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम में वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में त्रैवार्षिक अद्यतन के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभवन को सूचित करें ।
4. तत्पश्चात् सचिव, राज्यपाल द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से कुलपतियों से संवाद का आरम्भ किया गया एवं एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया।
5. समस्त 14 एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं तदनुसार लिये गये निर्णय की सूची संलग्न दो पर संलग्न है।

6. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समापन संबोधन में निम्न निर्देश/घोषणा की गई:–

- राजभवन में बनेगा विश्वविद्यालय पार्क।
- विश्वविद्यालय पार्क में होंगे प्रत्येक विश्वविद्यालय का स्मार्ट मॉडल।
- विश्वविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलेगा ।
- विश्वविद्यालयो को रेन वाटर हार्वेस्टिंग व ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम आवश्यक रूप से बनाने होंगे।
- विश्वविद्यालय परिसर नशा मुक्त और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होंगे ।
- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय विश्वविद्यालयों के गोद लिये गये गांवों का दौरा अगले माह से करेंगे।
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कौशल विकास से जोड़ा जायेगा।
- विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का निर्माण करेंगे जिस पर संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्त्तव्यों की पट्टिका लगेंगी।
- विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने हेतु राजभवन स्तर पर State Level Monitoring Committee का गठन किया जावेगा जोकि समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को स्मार्ट युनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के अनुरूप विकसित करेगी।
- परीक्षा प्रणाली में सुधार व केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति आवश्यक रूप से लागू करनी होगी।
- समस्त विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक के पद पर एक ही व्यक्ति लम्बे समय तक नहीं रह सकेगा।

7. बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुबीर कुमार
सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(3)आरबी / 2020 /1213 दिनांक : 14 फरवरी,2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु प्रेषित हैः–

1. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान

सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि संदर्भ हेतुः–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, जयपुर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, राजभवन, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा

**माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपतियों से संवाद**
**दिनांक 07 फरवरी, 2020**
**उपस्थिति पत्रक**

| क्र.सं. | नाम | मोबाईल नं. | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रो. लिन के. पंवार | 9650687838 | [illegible] |
| 2 | DR RAJA BABU PANWAR | 8955186305 | [illegible] |
| 3 | Dr. Abhimanyu Kumar | 8800543823 | [illegible] |
| 4 | Dr. Narendra Singh Rathore | 9414166561 | [illegible] |
| 5 | Dr. Dinesh Chandra Joshi | 9909020668 | [illegible] |
| 6 | Dr B. R Choudhary | 9414865317 | [illegible] |
| 7 | Prof Jagdish Prasad Yadav | 9414362125 | [illegible] |
| 8 | Prof. Ratan Lall Godara | 9558095921 | [illegible] |
| 9 | Prof R P Singh | 9414422766 | RPSingh |
| 10 | Prof. Vishnu Sharma RAJUVAS Bikaner | 9460387945 | [illegible] |
| 11 | Prof. B.L. Sharma Pt. D.U. Shekhawati Univ. Sikar | 9772133321 | [illegible] |
| 12 | Anula Maurya | 9810353171 | [illegible] 7.2.2020 |
| 13 | Kailash Sodani | 82392-69101 | [illegible] |
| 14 | RAM PAL SINGH | 9672765088 | [illegible] |
| 15 | Prof P C Trivedi | 9414248524 | Trivedi |

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपतियों से संवाद
दिनांक 07 फरवरी, 2020
उपस्थिति पत्रक

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | R.K. KOTHARI | R.K. Kothari | |
| 17 | ओम थानवी | [signature] | 9873710771 |
| 18 | N R K REDDY IPS | [signature] | 8003667838 |
| 19 | J. S. Sandhu VC. | [signature] | 9582698975 |
| 20 | R A Gupta, VC | [signature] | 9414052862 |
| 21 | H.D Charan | [signature] | |
| 22 | [illegible] | [signature] | 9414000720 |
| 23 | Shiv Pal Yadav | [signature] | 9772436501 |
| 24 | Prof (Dr.) Col. A. K. GAHLOT | [signature] | 9414138211 |
| 25 | YOGESH KUMAR SRIVASTAVA Ex-Chairman RAS | [signature] | 9414068197 |
| 26. | SANDHYA SHARMA P.A. | [signature] | 9654686909 |
| 27 | Kirti Sharma | [signature] | 9413934131 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| क्र.सं. | एजेण्डा विषय | चर्चा के बिन्दु | निर्णय | विश्वविद्यालय जिससे क्रियान्विति अपेक्षित है। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **पाठ्यक्रम अद्यतन** | 1. विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण/विकास एवं नियमित संशोधन तथा अद्यतन किया जावे।<br>2. इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमानुसार पाठ्यक्रम का अद्यतन करें। यूजीसी द्वारा वर्श 2009 में Action Plan for Academic and Administrative Reforms जारी किया गया था। जिसमें पाठ्यक्रम अद्यतन सम्बन्धी गाईडलाईन निम्नानुसार है–<br>***"All the academic programmes (Certificate, Diploma, Undergraduate, Postgraduate, M. Phill or Ph.D.) should be subjected to updation or revision, to a limited extent every academic year (for Professional and Post graduate courses), and substantially every three years for all the courses.'***<br>3. पाठ्यक्रम का समयावधि में वेबसाइट पर प्रदर्शन तथा प्रति सप्ताह प्रतिदिन कालांशवार पढ़ाये जाने वाले टॉपिक्स का प्रदर्शन किया जावे।<br>4. विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें निर्धारित समय पर नियमित रूप से आयोजित की जावें।<br>5. पाठ्यक्रम वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखतें हुये अद्यतन | माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अद्यतन करने की कार्यवाही दृढ़ता से करें। पाठ्यक्रम के अद्यतन में विज्ञान विषय के अतिरिक्त उन विषयों का विशेष ध्यान रखा जाये, जहां पर इंटरनशिप/कार्यशाला का प्रभावी ज्ञान होना आवश्यक हो। विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे जो यूजीसी वेबसाईट अनुसार तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम में वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में त्रैवार्षिक अद्यतन के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभवन को सूचित करें । | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

नरसी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | किये जावें।<br>6. पाठ्यक्रम के अद्यतन में विज्ञान विषय के अतिरिक्त उन विषयों का विशेष ध्यान रखा जाये, जहां पर इंटरनशिप/कार्यशाला का प्रभावी ज्ञान होना आवश्यक हो।<br>7. विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे जो तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम में वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में त्रैवार्षिक अद्यतन के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभवन को सूचित करें। | | |
| 2. | **विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice Based Credit System) का क्रियान्वयन** | 1. राज्य में वित्त पोशित विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ विशेष कोर्सज में Choice Based Credit System प्रणाली अपनाई जा रही है।<br>2. राज्य में वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा वर्तमान में Credit & Attendance हस्तांतरण नहीं हो रहे है जिस कारण Choice Based Credit System In Campus में ही प्रयोग में ली जा रही है।<br>3. राज्य में वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को यह निर्देश प्रदान किये जाये कि Choice Based Credit System in Campus के साथ ही Credit & Attendance Transfer System को लागू किये जाने पर दिशा–निर्देष बनाये जावें जिससे कि विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों से पाठ्यक्रम का चयन कर अपने कौशल | राज्य में वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि CBCS प्रणाली का लागू करना आवश्यक है।<br>साथ ही इसे लागू किये जाने पर दिशा निर्देश बनाये जाकर राजभवन को प्रेषित करावें। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

नरहरी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | को बेहतर कर सकें। इस सम्बन्ध में यूजीसी द्वारा द्वारा वर्ष 2009 में Action Plan वित Academic and Administrative Reforms जारी किया गया था। जिसमें Choice based Credit System सम्बन्धी दिशा निर्देष जारी किये गये है। | | |
| 3. | **विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा** | राजभवन के पत्र दिनांक **31.01.2020** द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि वे निम्न तीन बिन्दुओं के संबंध में डेटा लेकर कुलपति समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित होवें ताकि तत्समय ही निम्न बिन्दुओं के आधार पर ही वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जा सके:–<br>(i) यूजीसी/रेगुलेटरी बॉडी से प्राप्त ग्रान्ट<br>(ii)राज्य सरकार से प्राप्त ब्लॉक ग्रान्ट तथा विश्वविद्यालय की स्वयं की आय एवं व्यय<br>(iii)लंबित ऑडिट पेरा की वस्तुस्थिति | राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली ग्रान्ट एवं उसका उपयोग किन मदों में किया जा रहा है उसका विस्तृत विवरण तैयार कर राजभवन को भिजवावें। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |
| | | **राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु डॉ0 ए. के. गहलोत पूर्व कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुतीकरण** | समस्त विश्वविद्यालय अपने संसाधनों द्वारा आय का स्त्रोत बढ़ाने हेतु रोडमेप तैयार कर राजभवन को अवगत करावें। | |
| 4. | **विश्वविद्यालयों में लंबित कोर्ट केस की स्थिति** | दिनांक 11.12.2019 को विडियों कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण एवं वित्त नियंत्रकगण से हुई चर्चा के आधार पर विश्वद्यालयों से लम्बित कोर्ट केस एवं अधिवक्ता पैनल संबंधी सूचना चाही गई थी जिसके प्रत्युत्तर में **25 विश्वविद्यालयों द्वारा कुल 3480 कोर्ट केस लम्बित बताये गये है।** | 1. समस्त विश्वविद्यालय प्री–लिटिगेशन कमेटी बनावें, कमेटी द्वारा यह भी तय किया जावे कि किस लिटिगेशन में विश्वविद्यालय को अपील करना है अथवा नहीं और किस केस को | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

नरेश

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | अपने स्तर पर ही निदान करना है।<br>2. विश्वविद्यालय राजभवन द्वारा चाही गई सूचना समय पर प्रेषित करें।<br>3. लम्बित कोर्ट केस संबंधी डेटा LITES की वेबसाइट पर अपलोड एवं अपडेट करें।<br>4. लम्बित कोर्ट केस में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति समय पर करें एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते समय ध्यान रखा जावे कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जावे जिसके सम्बन्धित कोर्ट केस में किसी प्रकार के हित निहित न हो।<br>5. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा द्वारा अधिवक्ता पैनल सम्बन्धी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। | |
| 5 | **स्मार्ट विश्वविद्यालय** | स्मार्ट विश्वविद्यालय विषय पर राजभवन स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया एवं इसकी 4 बैठकें आयोजित की जाकर अन्तिम रिपार्ट माननीय राज्यपाल एवं | विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने हेतु राजभवन स्तर पर State Level Monitoring Committee का गठन किया जावेगा जोकि | राजभवन सचिवालय |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुलाधिपति महोदय के समक्ष दिनांक 05 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत की जा चुकी है।<br>**स्मार्ट विश्वविद्यालय एवं Integrated University Management System विषय पर उक्त कमेटी के अध्यक्ष डॉ0 ए. के. गहलोत पूर्व कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जा रहा है।** | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को स्मार्ट युनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के अनुरूप विकसित करेगी।<br>संबंधित विषय पर विश्वविद्यालय अपनी आख्या प्रदान करें। | |
| 6. | **परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति** | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षा सुधार संबंधी दिशा निर्देशों में Continuous Internal Evaluation पर जोर दिया गया है। राज्य में वित्त पोषित विश्वद्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से शीघ्रताशीघ्र Semester System को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में लागू किये जाने पर जोर दिया जाना आवश्यक है। राज्य में वित्त पोशित विश्वद्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक है, जिससे समय पर परिणाम जारी किये जा सके। | 1. केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षकों के अनुभव का आधार विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित करें।<br>2. यह भी आवश्यक है कि एक ही व्यक्ति लम्बे समय तक परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित न हो। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |
| 7. | **राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अकादमिक उत्कृष्टता हेतु अभिनव प्रयोग एवं ज्ञान के आदान प्रदान हेतु अन्य** | 1. विश्वविद्यालय भारतीय एवं विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग बाबत नियमानुसार (MoU) या समझौता करें जिससे कि अभिनव प्रयोग एवं ज्ञान के आदान–प्रदान का मार्ग प्रशस्त हो। | समस्त विश्वविद्यालय द्वारा किये गये राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय **MoU** की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राजभवन को प्रेषित करें। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **विश्वद्यालयों / राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (MoU)** | 2. विश्वविद्यालय MoU किये जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार उसका नवीनीकरण भी करें।<br>3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण विनियम, 2016 भी जारी किये गये हैं। | | |
| 8. | **राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन** | 1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रीड़ा एवं संस्कृति का विशेष महत्व है। व्यक्तित्व विकास के लिए भी इस तरह के आयोजन का विशेष महत्व है। राजस्थान में राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन वृहद् स्तर पर किया जावे।<br>2. इस तरह का आयोजन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर माह अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है एवं तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जावे। | 1. आयोजन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों द्वारा रोटेशन के आधार पर तय की जावे एवं इस प्रतियोगिता के विजेताओं को कुलाधिपति महोदय द्वारा Chancellor Trophy भी प्रदान की जावे।<br>2. माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसके तहत महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर माह अक्टूबर में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किये जावें। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

नहवी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. राजस्थान विश्वविद्यालय 15 दिवस के अन्दर अपनी रूपरेखा तैयार कर राजभवन को प्रेषित करावें। | |
| 9. | **युवा शक्ति को निकटतम परिवेश के सामाजिक सरोकार संबंधी विषयों को जोड़ना** | विश्वविद्यालय युवा शक्ति को निकटतम परिवेश के सामाजिक सरोकार संबंधी विषयों से जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए किसी भी एक थीम का चयन करें जैसे स्वच्छता, पर्यटन, पर्यावरण, जलशक्ति, ट्रैफिक नियमों, शहरी सौन्दर्यकरण, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, बाल विवाह, सरकारी योजनाओं, इत्यादि के संबंध मे आमजन को जागरूक किया जा सके। इन विषयों पर किये गये कार्य के आधार पर विद्यार्थियों को क्रेडिट पॉइन्ट भी दिये जावें। | 1. चयनित विषय पर किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार कर सामाजिक सरोकार संबंधी विषय चयन कर इसकी क्रियान्विति के संबंध में समस्त विश्वविद्यालय राजभवन को रिपोर्ट प्रेषित करें।<br>2. नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। चयनित थीम पर किये गये कार्यों का वार्षिक विवरण संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा राजभवन को प्रस्तुत किया जावे। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |
| 10. | **प्राकृतिक संसाधनों का युक्ततम उपयोग एवं Recycle** | विश्वविद्यालय प्राकृतिक संसाधनों के युक्ततम उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं पर गंभीरता से कार्य करें :–<br>1. आगामी वर्षा ऋतु के दौरान सघन वृक्षारोपण।<br>2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग।<br>3. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास।<br>4. जल शक्ति अभियान। | 1. माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि समस्त विश्वविद्यालय अपने स्तर पर दिये गये समस्त बिन्दुओं पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को सम्मिति करें ताकि उन्हें भी भविष्य में ऐसा करने का प्रोत्साहन मिले। | समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय |

हस्ता०

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्याप्त मात्रा में विश्वविद्यालय परिसर में कूडापात्रों की स्थापना। विश्वविद्यालयों भवन, परिसर एवं शौचालयों की नियमित साफ–सफाई।<br>6. धूम्रपान / तम्बाकू मुक्त विश्वविद्यालय।<br>7. सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त परिसर। | 2. समस्त विश्वविद्यालय अपनी विश्वविद्यालय के एक किमी. की परिधि में कोई भी चाय / पान / बीड़ी–सिगरेट / गुटखा आदि की थड़ी ना लगने दें।<br>3. पर्यावरण को बचाने हेतु विश्वविद्यालय अपनी कार्यशैली में कागज का कम से कम उपयोग संभव हो इस हेतु पेपरलेस प्रणाली की ओर ध्यान दे। | |
| 11. | **राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय को दिनांक 04.07.18 को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता के संबंध में जारी परिपत्र की पालना रिपोर्ट** | राजभवन द्वारा दिनांक 04.07.18 को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–<br>1. शोध कार्यों में गुणवत्ता<br>2. पाठ्यक्रम की समीक्षा<br>3. बायोमैट्रिक उपस्थिति<br>4. प्लास्टिक मुक्त एवं हरा भरा स्वच्छ परिसर<br>5. विद्यार्थियों की उपस्थिति<br>6. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था<br>7. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत<br>8.स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव अंतर्गत प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट<br>9. अकादमिक एवं अवकाश कलेण्डर<br>10.महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर समारोह का आयोजन | इस सम्बन्ध में समस्त विश्वविद्यालयों से पालना रिपोर्ट चाही गयी थी, जिसके प्रत्युत्तर में निम्न वि वविद्यालयों से ही पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है–<br>**<u>शोध कार्यों में गुणवत्ता</u>** :<br>1.राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर,<br>2.श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर,<br>3.जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर<br>4.कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर,<br>5.वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा | |

नरेन्द्र

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.छात्रावास<br>12.स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव अंतर्गत तालाब निर्माण एवं जल संरक्षण के प्रभाव एवं मूल्यांकन का अध्ययन | 6. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा<br>7. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर<br>**बायोमैट्रिक उपस्थिति**<br>1.जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर<br>2.राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर<br>**विद्यार्थियों की उपस्थितिः**<br>1.जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर<br>2.राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर<br>3.संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर<br>**अकादमिक एवं अवकाश कलेन्डरः**<br>1.जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर<br>2. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर<br>**छात्रावासः**<br>1.स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर<br>2.मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर<br>3.पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, | |

नरेन्द्र